न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–525/2025

आदेश

25.02.2026 प्रस्तुत मामले में कुल दो अभियुक्तों की हाजिरी है। अभियुक्त बन्टी यादव उर्फ प्रतीक यादव के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 10.02.2026 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत मामले में उसके तरफ से पूर्व कोई अन्य उन्मोचन आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है, उसका नाम सह–अभियुक्त सैयद अली रजा हासिमी के द्वारा पुलिस के समक्ष दिए गए दोषस्वीकारोक्ति बयान में आया है। तदुपरांत आवेदक द्वारा दिनांक 08.04.2024 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने के उपरांत अनुसंधानक द्वारा उसे रिमांड पर लिया गया है तथा आवेदक का अपराध स्वीकृति बयान लिया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदक को सूचक एवं जख्मी द्वारा सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि आवेदक के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है और उसके विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है, इसलिए आवेदक को इस मामले से उन्मोचित किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है, अनुसंधान के क्रम में आवेदक का नाम आया है तथा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त समग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

द0प्र0स0 की धारा 227 में उल्लिखित प्रावधानों के अवलोकनोपरांत यह न्यायालय पाती है कि अभिलेख के इस प्रक्रम पर अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के सामग्री की उपलब्धता को नहीं देखना है अपितु न्यायालय को सिर्फ यह देखना है कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध के संबंध में आरोप गठन हेतु प्रथम दृष्टया मामला उत्पन्न होता है या नहीं।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि यह मामला वादी अंसार अली मुल्ला के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध सूचक का सोने का जेवर भरा बैग लूटने और सूचक के बेटे को गोली मारकर जख्मी करने के लिए दर्ज कराया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 11, 26, 28, 42, 43, 45, 49, 62, 92, 95 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र का डम्प डेटा के तकनीकी विश्लेषण करने पर दो मोबाइल नं0 8409698786 एवं 9431246582 संदिग्ध पाया गया है। इन दोनों नम्बरों के प्राप्त एस0डी0आर0 में धारक का नाम सैयद अली रजा हासिमी पाया गया है, उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तीनों मोटरसाइकिल, जो विभिन्न जगहों पर छुपाकर रखी गई थी तथा घटना कारित करते समय सभी अपराधियों द्वारा पहने गए जैकेट एवं हेलमेट को उसके कमरे से बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल चोरी की बताई गई है। उसके द्वारा आवेदक अभियुक्त का भी मोबाइल नंबर 7766047324 बताया गया है और उक्त मोबाइल का टावर लोकेशन घटना के समय घटनास्थल पर पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 125 पर आवेदक अभियुक्त का दोषस्वीकारोक्ति बयान लिया गया है, जिसमें उसने सीसीटीवी फुटेज में स्वयं को एवं घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों को पहचान किया है। अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि अप्राथमिकी अभियुक्त सैयद अली रजा हासिमी लोक सभा चुनाव लड़ना चाहता था, जिसके लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी। पैसे की व्यवस्था सही रास्ते से नहीं होने के कारण इसने गलत रास्ते का चुनाव किया और इसी क्रम में अपने अन्य साथियों जिसमें आवेदक भी शामिल है, के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। कांड दैनिकी की कंडिका 147 के अनुसार उसके विरूद्ध पांच आपराधिक मुकदमें

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–525/2025

दर्ज है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध घटना सत्य पाते हुए आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397, 120बी एवं आयुध अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है तथा उन्हीं धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लेते हुए इस मामले का दौरा सुपूर्द करने के उपरांत यह वाद इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

अतः अभिलेख के अवलोकन से एवं उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 397, 120बी एवं आयुध अधिनियम धारा 27 के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने हेतु पर्याप्त आधार है। अतएव, उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 10.02.2026 में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उसे **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 17.03.2026 को वास्ते आरोप गठन हेतु सभी अभियुक्तगण सदेह उपस्थित रहें।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
अपर सत्र न्या0–प्रथम
25.02.2026

निर्णय/आदेश की तिथि	25.02.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	24.02.2026
अपलोडिंग तिथि	25.02.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक